# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अभ्यांकित)

पत्रावली संख्या 214 / 2021 निर्णय दिनांक –24.01.2023

उनवानी दावा :

श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री हंसराज जाति जाट उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीया–

बनाम

1. अजोध्या पुत्री श्योजीपुरी जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकन्या पत्नि श्योजीपुरी जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सायरी पत्नि गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. अमरीस पुत्र गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लेखराज पुत्र गजांनद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. कविता पुत्री गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी 6 आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. उप पंजीयक महोदय, देवली
8. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6

## दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1039 रकबा 1.24 है0, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 749 रकबा 0. 60 है0, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.06 है0 कुल किता–4, कुल रकबा 3.29 है0 वाके ग्राम आकोड़िया पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त

इन्द्राज

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वर्णित आराजीयात के खातेदार प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 3 ता 6 के पिता व पति गजानंद पुत्र श्योजीपुरी से वादीया ने उक्त आराजीयात में से उनका समस्त 1/8 हिस्सा दिनांक 18.05.2015 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र वास्तविक प्रतिफल अदा कर खरीद लिया था तथा कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से ही प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 3 ता 6 के पिता व पति गजानंद पुत्र श्योजीपुरी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर वादीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादीया प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि को काश्त कर रही है तथा काबिज है। खातेदार गजानंद पुत्र श्योजीपुरी की मृत्यु 2–3 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादीगण 3 ता 6 है इस कारण प्रतिवादीगण 3 ता 6 को पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण के अलावा अन्य सहखातेदारान के खिलाफ किसी प्रकार की रिलिफ नहीं चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। वादीया ने प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि के विक्रय पत्र की एक प्रति हल्का पटवारी को पंजीयन के 3–4 दिन बाद दे दी थी तथा हल्का पटवारी द्वारा वादीया को कहा गया था कि नामांतकरण खुल जायेगा परन्तु हल्का पटवारी द्वारा वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि का नामांतकरण नही खोला गया तथा वर्तमान मे भी राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम खातेदारी मे चला आ रहा है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि वादीया को विक्रय की जा चुकी है। आज से 5 दिन पूर्व वादीया ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल ली तब वादीया को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि का नामांतकरण वादीया के हक मे नही खुला है तथा वर्तमान मे भी प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम खातेदारी में चला आ रहा है इस पर वादीया ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा विकय पत्र दिखाया तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम हटाने एवं उनके हिस्से की भूमि का नामांतकरण अपने हक में खोले जाने हेतु निवेदन किया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा वादीया के हक में नामांतकरण खोलने से मना कर दिया गया तथा कहा कि न्यायालय के आदेश से ही उक्त भूमि का नामांतकरण खोला जा सकेगा इस कारण वादीया को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण 3 ता 6 के पिता व पति गजानंद पुत्र श्योजीपुरी से उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजि0 विक्रय पत्र खरीद की है तथा कब्जा प्राप्त किया है इस कारण से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर उनके हिस्से की भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है। वाद वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि पर किसी भी बँक या वित्तिय संस्था का कोई ऋण बकाया नही है तथा रहन मुक्त हैं।

न्द्राज

उक्त वाद में प्रतिवादीगण 7 व 8 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व कानूनन धारा 80 सीपीसी के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से बाद बिना नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति के लिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 के मन मे बेइमानी आ गई है तथा वाद वर्णित भूमि मे उनके नाम का गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 ता 6 अपने हिस्से की भूमि को हस्तान्तरण करने पर आमादा है ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य है कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नाकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के बाद वर्णित भूमि मे से उनके हिस्से की भूमि को किसी अन्य दिगर व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें, वादीया को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से बेदखल नही करें तथा वादीया के हिस्से की हद तक वादीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिवादी नम्बर 7 को भी पाबंद किया जावे कि वह उक्त भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिवादीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो वादीया अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगी तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। वाद कारण आज से 5 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीया ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल ली तब वादीया को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण 1 ता 6 के हिस्से की भूमि का नामांतकरण वादीया के हक में नही खुला है तथा वर्तमान मे भी प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम खातेदारी मे चला आ रहा है तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद दो प्रतियों में पेश है। अतः वादीया की अधियाचना है कि अ– वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत उदघोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज डिकी किया जाकर वाद वर्णित आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 1039 रकबा 1.24 है0, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.60 है०, खसरा नम्बर 750 रकबा 1.06 है0 कुल किता–4, कुल रकबा 3.29 है0 वाके ग्राम आकोडिया पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे से प्रतिवादीगण 1 व 2 एवं गजानंद पुत्र श्योजीपुरी का नाम विलोपित किया जाकर उनके 1/8 हिस्से की भूमि का वादीया को खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे। ब– वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 7 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर

प्रतिवादीगण 1 ता 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिये पाबंद किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेंट, नाकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के वाद वर्णित भूमि मे से उनके हिस्से की भूमि को किसी अन्य दिगर व्यक्ति या संस्था को रहन दान, बेचान, वसीयत एवं अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें, वादीया को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से बेदखल नही करें तथा वादीया के हिस्से की हद तक वादीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रतिवादी नम्बर 7 को भी पाबंद किया जावे कि वह वाद वर्णित भूमि बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। स– खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे। द– अन्य सहायता जो वादीया के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करवायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वे 4 पेश किये। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादीया श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी श्री हंसराज जाट उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0 के पेश किये जिसमें वाद के तथ्यो को ही पेश किया और प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है :– प्रदर्श– 1 A विकय पत्र की छाया प्रति दिनांक 18.05.15 प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 प्रदर्श–3 शपथ विकय पत्र जगदीश गवाह का पेश करते हुए वाद डिकी करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से साक्ष्य पी. डब्ल्य–1 से जिरह निल रही।

साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 जगदीश पुत्र पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पेश किया जिसमें साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए लिखा है कि विकय पत्र पर मैने बतोर गवाह हस्ताक्षर किये थे। वाद को स्वीकार करते हुए वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से साक्ष्य पी. डब्ल्य–2 से जिरह निल रही।

साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–3 कमलेश पुत्र बद्री जाति जाट उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली ने भी वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से साक्ष्य पी. डब्ल्यू–3 से जिरह निल रही।

साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–4 रमेशचन्द पुत्र जगरूप जाति जाट उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली ने भी वाद के तथ्यो को दोहराते हुए लिखा कि विकय पत्र पंजीयन के समय में तहसील कार्यालय में उपस्थित था तथा मेंरे सामने ही वादीया ने प्रतिवादीगण के विकय मूल्य की राशि अदा की थी तथा विकय पत्र पर विकेता, केता एवं गवाह जगदीश पुत्र पोखर जाट निवासी आकोडिया ने हस्ताक्षर किये थ। वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से साक्ष्य पी. डब्ल्य–4 से जिरह निल रही।

वादीया द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्य वादी बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वाद वादीया पक्ष डिकी करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी के अभिकथनो पर मनन किया। प्रदर्श–1 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.05.2015 के अनुसार विकतोगण गजानन्द पुत्र, अजोध्या पुत्री व रामकन्या बेवा श्योजीपुरी निवासी ग्राम आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक ने केता श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी श्री हंसराज जाति जाट निवासी आकोड़िया तहसील देवली को मुबलिग 100000 रूपये में ख. नं. 746 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 749 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 750 रकबा 1.06 है0, ख. नं. 1039 रकबा 1.24 कुल रकबा 3.29 है0 में से विकेतागण ने अपना हिस्सा 1/8 का विकय किया है जिस पर गवाह राजू व जगदीश के हस्ताक्षर है। उक्त पंजीबद्ध बयनामा से वादीया द्वारा कय की गई भूमि का नामान्तकरण वादीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नही खोला गया है जिसके कारण वादीया ने वाद यह वाद पेश किया है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार उक्त भूमि के खातेदारो के नाम में रामकन्या पत्नी श्योजीपुरी के नाम 1/24 हिस्सा, गजानन्द पुत्र श्योजीपुरी के नाम 1/24 हिस्सा व अजोध्या पुत्री श्योजीपुरी के नाम 1/24 हिस्सा खातेदारी के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जबकि गजानन्द, अजोध्या व रामकन्या ने प्रत्येक ने अपना 1/24 हिस्सा कुल 1/8 हिस्से का बेचान वादीया को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.05.2015 से कर दिया। इस बाबत साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 ने अपने साक्ष्य में बताया कि उक्त विकय पत्र में साक्ष्य पी. डब्ल्य–2 का गवाह के तोर पर हस्ताक्षर है। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–3 व 4 ने भी वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 को

गजानन्द की मृत्यु के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है अर्थात इनको वाद से कोई आपति नहीं है। उक्त विश्लेषण व विवेचन से स्पष्ट है कि वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पिता/पति से जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र से कय की थी जिसका नामान्तकरण वादीया के नाम नहीं खोलने से वादीया राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार से वंचित है। वादीया राजस्व रिकॉर्ड में 1/8 हिस्से की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की हकदार है। अतः वादीया को वाके ग्राम आकोड़िया पटवार हल्का संथली तहसील देवली में स्थित हाल ख. नं. 746 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 749 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 750 रकबा 1.06 है0, ख. नं. 1039 रकबा 1.24 कुल रकबा 3.29 है0 में से 1/8 हिस्से की भूमि का खातेदार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा गजानंद पुत्र श्योपुरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर–चाकर एवं पारिवारिक सदस्यो द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में से वादीया की 1/8 हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण नहीं करे व वादीया के हिस्से व कब्जे की भूमि में कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे व वादीया को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व विलोपन करे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी_____मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक_____

श्रीमति प्रकाशी देवी पत्नि श्री हंसराज जाति जाट उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीया—

बनाम

1. अजोध्या पुत्री श्योजीपुरी जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामकन्या पत्नि श्योजीपुरी जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सायरी पत्नि गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. अमरीस पुत्र गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोडिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लेखराज पुत्र गजांनद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. कविता पुत्री गजानंद जाति गोसाई उम्र बालिग निवासी 6 आकोड़िया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. उप पंजीयक महोदय, देवली

—प्रतिवादीगण—

## दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

**मुकदमा नं. 214 सन् 2021**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

### आदेश

वाके ग्राम आकोड़िया पटवार हल्का संथली तहसील देवली में स्थित हाल ख. नं. 746 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 749 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 750 रकबा 1.06 है0, ख. नं. 1039 रकबा 1.24 कुल रकबा 3.29 है0 में से 1/8 हिस्से की भूमि का खातेदार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा गजानंद पुत्र श्योपुरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित

किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर-चाकर एवं पारिवारिक सदस्यो द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त भूमि में से वादीया की 1/8 हिस्से की भूमि का हस्तान्तरण नहीं करे व वादीया के हिस्से व कब्जे की भूमि में कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे व वादीया को बेदखल नहीं करे। तहसीलदार देवली निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद व विलोपन करे।

निजी.................. मुवलिक.................. बाबत् ..................
..........खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .................. फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .............. की अदा करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 01 सन् 2023 को जारी किया गया।

दस्तखत .................. [signature]

ओहदा ..................उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

मुहर

| मुददई | रू. | पै. | मुददायलह | रू. | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अदालत नामा | | | स्टाम्प अदालत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | मेहनतान वकील | | |
| मेहनतान वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | Nil | | बाबत् इजरायहुक्मनामा | | Nil |
| बाबत् इजरायहुक्मनामा | | | अन्य मिजान | | |
| अन्य | | | | | |
| मिजान | | | | | |

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकैन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए